

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2246 / 2016 / जयपुर
2. अपील संख्या 2247 / 2016 / जयपुर
3. अपील संख्या 2248 / 2016 / जयपुर
4. अपील संख्या 2249 / 2016 / जयपुर

मैसर्स जैना मार्केटिंग एण्ड एसोसियेट्स,
ए-125, श्रीगोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

5. अपील संख्या 644 / 2017 / जयपुर
6. अपील संख्या 645 / 2017 / जयपुर
7. अपील संख्या 646 / 2017 / जयपुर
8. अपील संख्या 647 / 2017 / जयपुर
9. अपील संख्या 648 / 2017 / जयपुर
10. अपील संख्या 649 / 2017 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर
बनाम

.....अपीलार्थी.

मैसर्स जैना मार्केटिंग एण्ड एसोसियेट्स,
ए-125, श्रीगोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक

.....व्यवसायी की ओर से

.....राजस्व की ओर से

दिनांक : 04.05.2018

निर्णय

1. अपील संख्या 2246 / 2016 से 2249 / 2016 अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "व्यवहारी" कहा जायेगा) द्वारा एवं अपील संख्या 644 / 2017 से 649 / 2017 विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 के अन्तर्गत आरोपित कर एवं ब्याज मांग राशियों की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के बिन्दु को विवादित किया गया है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों 644 से 647 / 2017 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के बिन्दु को विवादित किया गया है तथा अपील संख्या 648-649 / 2017 के अपीलीय

31

आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'टेबलेट' पर कर की दर 14 प्रतिशत मानते हुए आरोपित अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है। अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

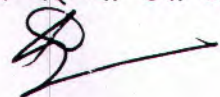
अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धार.वर्ष	विवादित कर	ब्याज	शास्ति
2246/2016	255/अ.प्रा./1/एल	22.07.15	2009-10	253097	177168	-
644/2017				-	-	506194
2247/2016	256/अ.प्रा./1/एल	22.07.15	2010-11	799656	463801	-
645/2017				-	-	1599312
2248/2016	257/अ.प्रा./1/एल	22.07.15	2011-12	1395341	641857	-
646/2017				-	-	2790682
2249/2016	258/अ.प्रा./1/एल	22.07.15	2012-13	1081901	367846	-
647/2017				1747930	594297	3495860
648/2017	259/अ.प्रा./1/एल	22.07.15	2013-14	1768930	389165	3537860
649/2017	260/अ.प्रा./1/एल	22.07.15	2014-15	2985	299	5970

- प्रस्तुत प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णीत किया जा रहा है, जिसकी एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे।
- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 29.01.2014 को किया गया। व्यवहारी फर्म द्वारा मोबाईल/सेलफोन एवं एसेसरीज इत्यादि का क्रय विक्रय किया जाता है। जांच पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा मोबाईल चार्जर की बिक्री वैट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 28 पर ~~क्र.सं. 4 से 27~~ ² के तहत 4/5 प्रतिशत की कर दर से की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवसायी द्वारा बिक्रीत उत्पाद 'मोबाईल चार्जर' अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तु है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के सम्पूरित कर निर्धारणों में 10/9 प्रतिशत की दर से अंतर कर का आरोपण किया गया तथा इस क्रम में ब्याज भी आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा कम दर से कर चुकाने को कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी। उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया तथा कर व ब्याज

31

की पुष्टि की है, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर तथा विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के कर निर्धारण आदेशों में 'टेबलेट' पर सामान्य दर से (@14%) से किये गये करारोपण को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा अपील संख्या 648 एवं 649/2017 प्रस्तुत की गयी हैं।

4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि में व्यवहारी द्वारा मोबाइल चार्जर की बिक्री करते हुए इस पर अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट ए की प्रविष्टि 28 के अनुसार 4 या 5 प्रतिशत की दर (कर की दर जैसे कि संबंधित अवधि में प्रचलन में रही) से कर चुकाया है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस पर अनुसूची-V के अनुसार कर दर 14 प्रतिशत मानते हुए चार्जर की आकलित की गई विक्रय राशि पर अन्तर कर तथा ब्याज आरोपित करने के साथ-साथ इसे करवंचना मानते हुए धारा 61 के अंतर्गत शास्ति भी आरोपित की है। उन्होंने प्रश्नगत उत्पाद पर कर दर अनुसूची-IV के अनुसार ही होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये गये कर एवं ब्याज को अपास्त करने की प्रार्थना की है। इसके अतिरिक्त अपील संख्या 648 एवं 649/2017 के संबंध में उन्होंने कथन किया कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में व्यवहारी द्वारा कम्प्यूटर रूपी 'टेबलेट्स' की बिक्री की गई है जिस पर कर दर अनुसूची-IV के अनुसार ही देय है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर अनुसूची-V के अनुसार सामान्य कर दर से करारोपण करते हुए अन्तर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की है जिसे अपीलीय आदेश में अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की गई हैं। उन्होंने उक्त अपीलीय आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।
5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नोकिया इण्डिया प्रा0लि0 (2015) 77 VST 427 (SC) के निर्णय में मोबाइल के बैटरी चार्जर को एसेसरीज माना है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है वह पूर्णतः उचित है, अतः इस संबंध में उन्होंने अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 में व्यवहारी द्वारा कम कर दर से कर चुकाने को करवंचना मानते हुए जो शास्ति आरोपित की गई थी उसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है, अतः इस संबंध में अपीलीय आदेशों को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करने की प्रार्थना की है। इसके अतिरिक्त टेबलेट पर कर दर अनुसूची-V के अनुसार होने के कारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के कर निर्धारणों में जो अन्तर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई थी उसे अपीलीय

अधिकारी द्वारा अपास्त करने को उन्होंने तथ्यों की एवं विधिक त्रुटि बताते हुए अपीलीय आदेश अपास्त करने की प्रार्थना की है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। मोबाइल चार्जर पर कर दर के संबंध में प्रश्नगत बिन्दु पर राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व में यह निर्णीत किया जा चुका है कि उक्त वस्तु मोबाइल एसेसरीज होने के कारण इस पर अनुसूची-V के अनुसार इस पर कर की दर दिनांक 06.03.2013 से पहले 14 प्रतिशत देय होगी। उक्त संदर्भित निर्णय निम्नानुसार हैं :-

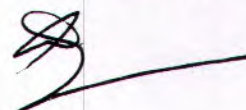
1. मैसर्स बैस्ट आई.टी. वर्ल्ड (इण्डिया) प्रा0 लि0, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 694-696/2016/जयपुर, निर्णय दिनांक 07.06.2017
2. मैसर्स सेवेक्स कम्प्यूटर लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 290/2014/जयपुर निर्णय दिनांक 17.07.2017
3. मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रोनिक्स प्रा0लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, अपील संख्या 509/2015/जयपुर, निर्णय दि. 27.07.2017
4. सहायक आयुक्त बनाम मैसर्स इनोवेशन, अपील संख्या 1029/2017/जयपुर निर्णय दिनांक 04.05.2018

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. (2015) 77 VST 427 (SC) के निर्णय में यह स्पष्टतः निर्णीत किया है कि मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन की एसेसरीज ही माना जायेगा। इस संबंध में उक्त उद्धरित निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार उल्लिखित हैं :-

"19. In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. We further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोबाइल फोन चार्जर मोबाइल फोन का पार्ट नहीं है अपितु एक स्वतंत्र उत्पाद है जो कि पृथक से भी बेचा जा सकता है। अतः मोबाइल चार्जर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 28 से आच्छादित नहीं होने के कारण इस पर कर की दर अनुसूची-V के अनुसार ही लागू होगी। राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में भी यही व्यवस्था देते हुए मोबाइल चार्जर पर Residual Rate से करारोपण को उचित माना गया है। अतः प्रस्तुत अपील





संख्या 2246 से 2249/2016/जयपुर के तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय तथा कर बोर्ड के ऊपर उद्धरित किये गये निर्णयों के समान होने के कारण यह निर्णीत किया जाता है कि मोबाइल चार्जर पर कर की दर दिनांक 05.03.2013 तक अनुसूची-V के अनुसार होगी। इस संबंध में आरोपित अन्तर कर तथा ब्याज की पुष्टि करते हुए इस संबंध में अपीलीय आदेश की भी पुष्टि की जाती है।

8. विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 648 व 649/2017 में अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.08.2016 को विवादित किया गया है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि में 'टेबलेट' की बिक्री पर कर दर 14 प्रतिशत निर्धारित करते हुए आरोपित किये गये अन्तर कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया है। प्रश्नगत बिन्दु राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स इंदिरा स्विच बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी: अपील संख्या 817-822/2016/जयपुर, निर्णय दिनांक 18.01.2018 में निर्णीत किया गया है कि दिनांक 09.03.2015 से पूर्व 'टेबलेट' पर कर दर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 3 के अनुसार होगी। चूंकि प्रश्नगत बिन्दु उक्त निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है, अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्ष 2013-14 व 2014-15 में टेबलेट पर कर की दर 5 प्रतिशत ही है। इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं तथा विभाग की दोनों अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।
9. विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 644 से 647/2017/जयपुर में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के अंतर्गत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए समस्त क्रय एवं विक्रय संव्यवहार उनकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट हैं एवं प्रत्यर्थी की इसमें करवंचना की मंशा प्रकट नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) के प्रकरण में पारित निर्णय उल्लेखनीय है जिसका मुख्य निर्णयांश निम्न प्रकार है :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption, penalty cannot be imposed. The penalty levied stands are aside."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CTO Vs Bambino Agro Industries Ltd. (2016) 90 VST 22 (Raj) के प्रकरण में दिये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

31

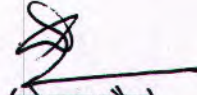


"14. As noticed earlier, admittedly, it is not a case where the assessee was not paying any tax. The claim was that it falls in the category where rate of tax is applicable @ 4% only whereas the claim of the Revenue was that it is taxable on account of falling in different entry @ 12.5% but admittedly all the transactions stood recorded, disclosed and the respondent-assessee paid due tax @4% on the entire goods. Payment of 4% on the entire turnover has been accepted and admitted by the AO himself, not only that the AO has accepted the entire turnover also.

15. Taking note of the facts, noticed earlier and the judgments referred to herein before, in my view, merely because a higher rate of tax has been made applicable, does not call for imposition of penalty under Section 61 of the Act. Accordingly, I do not find any perversity or ambiguity in the order impugned so as to call for interference."

10. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण भी वस्तुओं के वर्गीकरण तथा तदनुरूप कर दर मतभिन्नता से सम्बन्धित है तथा विवादित माल के बिक्री संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज होना विवादित नहीं है, अतः उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों के प्रकाश में आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश पुष्टि योग्य हैं एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 644 से 647/2017/जयपुर अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।
11. उपरोक्त विवेचनानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें — 2246 से 2249/2016/जयपुर तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें — 644 से 649/2017/जयपुर अस्वीकार की जाती हैं।
12. निर्णय सुनाया गया।


(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(क.एल.जैन)
सदस्य